न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-251RAAJodhpur2023-114RTA225 Ugamkanwar ors Vs Manoharsingh etc

01. उगमकंवर पत्नी श्री खेतसिंह
02. रावलसिंह पुत्र श्री खेतसिंह
03. मांगूकंवर पुत्री खेतसिंह
04. विरमसिंह पुत्र श्री भूरसिंह
05. भोजराजसिंह पुत्र श्री भूरसिंह
06. देवीसिंह पुत्र श्री भूरसिंह

सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- बावड़ी, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. मनोहरसिंह पुत्र घमसिंह
2. सवाईसिंह पुत्र घमसिंह
3. भंवर पत्नी घमसिंह
4. फतेहसिंह पुत्र भैरूसिंह
5. खुमानसिंह पुत्र भैरूसिंह
6. देदूसिंह पुत्र भैरूसिंह
7. दीपसिंह पुत्र मोडसिंह
8. चन्द्रसिंह पुत्र मोडसिंह
9. गणपतसिंह पुत्र मोडसिंह
10. सुमनकंवर पत्नी मोहनसिंह
11. शीतलकंवर पुत्री मोहनसिंह
12. पूनमकंवर पुत्री मोहनसिंह
13. संतोषकंवर पुत्री मोहनसिंह
14. प्रभुसिंह पुत्र सांगसिंह
15. नगतसिंह पुत्र सांगसिंह
16. अगरसिंह पुत्र खींवसिंह
17. खेतूकंवर पुत्री खींवसिंह
18. गुमानसिंह पुत्र मंगलसिंह
19. मेहताबसिंह पुत्र मंगसिंह
20. लूणसिंह पुत्र मंगलसिंह
21. त्रिलोकसिंह पुत्र केसरसिंह
22. रामसिंह पुत्र केसरसिंह
23. हीराकंवर पत्नी केसरसिंह
24. उम्मेदसिंह पुत्र जयसिंह
25. कुन्दनसिंह पुत्र जयसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

26. विमला कंवर पुत्री जयसिंह
27. तुलछ कंवर पत्नी जयसिंह
28. भंवरसिंह पुत्र खेतसिंह
    सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- बावड़ी, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।
29. सरपंच ग्राम पंचायत सेखाला, जिला जोधपुर।
30. सरपंच ग्राम पंचायत बावड़ी, जिला जोधपुर।
31. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेखाला, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 20 अप्रैल 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 178/2021 मनोहरसिंह बनाम फतेहसिंह

उपस्थित-
श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री उम्मेदसिंह बावरला, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 31

नि र्ण य

दिनांक : 03 जनवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 178/2021 मनोहरसिंह बनाम फतेहसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 20 अप्रैल 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 17 जुलाई 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खसरा नं. 979/2 ग्राम बावड़ी तहसील सेखाला में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 979/4, 979/5, 979/6 व 979/3 में से सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार 24 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 अप्रैल 2023 के जरिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को न तो सम्मन भेजे गये, न ही उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन की खातेदारी भूमि में जाने के लिए इसी खसरा नंबर 977 में से एक कटाणी रास्ता चलता है। उक्त रास्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन की खातेदारी भूमि खसरा नं. 979/2 में जाता है। जब खेत में एक रास्ता मौजूद चल रहा है तो दूसरा रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। रेस्पोडेंट्स संख्या एक से तीन ने अपने प्रार्थना पत्र में रास्ते की मांग रेस्पोडेंट संख्या 04 से 14 की खातेदारी में सें की गई थी, जबकि प्रस्तावित रास्ता अपीलांट के कब्जे काश्त की खसरा नं. 979/3 की भूमि जहां पर अपीलांट का कब्जा काश्त एवं बंटसुदा भूमि है। उस जगह से मांग की गई है, इस प्रकार न्यायालय में गलत तथ्य पेश कर एवं न्यायालय को गुमराह कर प्रार्थना पत्र पेश कर आदेश पारित करवाया गया है। राजस्व नक्शे में खसरा नं. 979 की तरमीम नहीं है। इसलिए पहले तरमीम की कार्यवाही पूर्ण करवाकर ही रास्ते की मांग की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट दिनांक 18.06.2022 को निर्णय का अंग सुमार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मानकर निर्णय दिया है, जबकि मौका रिपोर्ट के अनुसार रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन के खातेदारी भूमि में पहले से ही कटाण रास्ता चालू है। दूसरा जो प्रस्तावित रास्ता किस जगह से किस जगह जायेगा एवं आगे किस रास्ते से मिलायेगा, ऐसा नहीं बताया गया है। आधी-अधूरी मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित करनेमें विचारण न्यायालय द्वारा कानूनी भूल की गई है। मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा नहीं बनायी गई है तथा अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 25.08.2021 के पश्चात कोई आदेशिका ही नहीं लिखी गई है, जिससे यह मालूम पड़ता है कि न तो पत्रावली में नोटिस जारी किये गये है तथा न ही पत्रावली को पेशी में लिया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है। हस्तगत मामले में अप्रार्थी संख्या सात को मोहनसिंह की पत्नी बताया गया है, जबकि मोहनसिंह की पत्नी का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका है, इसलिए अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित किया गया होने से अपास्त योग्य है। अपीलांट के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 28 भंवरसिंह बाहर गया हुआ है, जिसके हस्ताक्षर नहीं होने से उसे रेस्पोडेंट पक्षकार बनाया गया है, जबकि उसके हित अपीलांट के साथ है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो अपीलांट्स को सम्मन भेजे गये तथा न ही उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। इसलिए अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। हाल ही में सुनने में आया कि अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में से रास्ता काट दिया गया, तब अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय में जाकर दिनांक 14.07.2023 को नकल का आवेदन प्रस्तुत कर मालूम किया जो अपीलाधीन आदेश की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील जानकारी से अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट्स को अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किया जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 अप्रैल 2023 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रुख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा किश्तवार मौजा बावड़ी पी-35 क्रमांक 10109 दिनांक 05.07.2021 के अवलोकन से प्रकट होता है कि खसरा नं. 979 राजस्व नक्शे में सामलाती दर्ज है तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जमाबंदी में दर्ज बट्टा नंबर के अनुसार तरमीम होना शेष है। ऐसी स्थिति में राजस्व नक्शे में मूल खसरा नं. 979 सामलाती दर्ज होने से धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशानुरूप सहखातेदार से रास्ते की मांग नहीं की जा सकती है। साथ ही राजस्व नक्शे में वर्तमान जमाबंदी में दर्ज बट्टा नंबर अनुसार तरमीम अंकित नहीं होने से प्रथमदृष्टया अपीलाधीन आदेशानुसार खातेदारान् के हिस्से मे से रास्ता का रकबा कम किया जाने एवं राजस्व नक्शे में रास्ते की सम्यक तरमीम अंकित किया जाना संभव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि मूल खसरा नं. 979 दक्षिणी सीमा के सहारे-सहारे वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, जिसकी पुष्टि मौका फर्द दिनांक 17.06.2022 से होती है। विचारण न्यायालय द्वारा मौके पर उपलब्ध सभी वैकल्पिक रास्ते की जांच किये बिना तथा उन पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश धारा 251-ए की मंशा के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है जो अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 178/2021 मनोहरसिंह बनाम फतेहसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 20 अप्रैल 2023 को अपास्त किया जाता है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पक्षकारान् द्वारा सर्वप्रथम मूल खसरा नं. 979 की वर्तमान जमाबंदी में दर्ज बट्टा नंबर अनुसार तरमीम अंकित करवाये जाने पर तत्पश्चात की गई तरमीम को ध्यान मे रखते हुए मौके पर उपलब्ध रास्ते के सभी विकल्पों की उभय पक्ष की उपस्थिति में जांच कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निकटतम एवं लघुतम रास्ते का आदेश पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोइ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर